



कार्यालय प्रधान महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी)- द्वितीय, मध्यप्रदेश  
OFFICE OF THE PRINCIPAL ACCOUNTANT GENERAL (A&E)-II, Madhya Pradesh



क्रमांक/पेंशन/डी.आर.एस.एस.ए./उत्तराखण्ड-09/2021-22

दिनांक:- 13.05.2022

प्रति,

सभी जिला कोषालय अधिकारी

- विषय:- 1. उत्तराखण्ड राज्य आंदोलन के दौरान 07 दिन जेल गए अथवा राज्य आंदोलन के दौरान घायल हुए आंदोलनकारियों की श्रेणी से भिन्न राज्य आंदोलनकारियों की पेंशन बढ़ाये जाने के संबंध में।
2. उत्तराखण्ड राज्य आंदोलन के दौरान 07 दिन जेल गए अथवा राज्य आंदोलन के दौरान घायल हुए आंदोलनकारियों की पेंशन बढ़ाये जाने के संबंध में।
- संदर्भ:- 1. कार्यालय महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) उत्तराखण्ड, देहरादून से प्राप्त पत्रांक पी.ए./पेंशन/2021-22/2436 दिनांक 22.02.2022
2. अपर सचिव उत्तराखण्ड शासन गृह अनुभाग-8, संख्या 284/XX(8)/21-08(रा.आ.)/2021 दिनांक 17.12.2021
3. अपर सचिव उत्तराखण्ड शासन गृह अनुभाग-8, संख्या 283/XX(8)/21-08(रा.आ.)/2021 दिनांक 17.12.2021

उपरोक्त विषय में लेख है कि कार्यालय महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) उत्तराखण्ड, देहरादून से प्राप्त शासनादेशों की प्रति आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित की जा रही है। अतः आपसे अनुरोध है कि उपरोक्त विषयानुसार कार्यवाही सुनिश्चित कर भुगतान करने की व्यवस्था करें। उपरोक्त संदर्भित आदेशों की प्रति कार्यालय प्रधान महालेखाकार मध्यप्रदेश की वेबसाइट [www.agmp.nic.in](http://www.agmp.nic.in) पर उपलब्ध है।

वरिष्ठ लेखा अधिकारी/पेंशन

क्रमांक/पेंशन/डी.आर.एस.एस.ए./उत्तराखण्ड-09/2021-22

दिनांक:-

प्रतिलिपि:- कार्यालय महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) उत्तराखण्ड, देहरादून-248195 के पत्र दिनांक 22.02.2022 के संबंध में सूचनार्थ।

वरिष्ठ लेखा अधिकारी/पेंशन

# कार्यालय महालेखाकार (लेखा एवं हक०) उत्तराखण्ड,

(महालेखाकार भवन, कौलागढ़, देहरादून-248195)

फोन न०: 0135-2643684, फैक्स न०: 0135- 2643683

013593

31561

SP-888.595.391

पत्रांक-पी.ए./पेंशन/महंगाई राहत/उत्तराखण्ड/२०२१-२२/२५३६

दिनांक-22-2-22

सेवा में,

|     | कार्यालय का नाम                                       | राज्य           | राजधानी      | पिन कोड |
|-----|-------------------------------------------------------|-----------------|--------------|---------|
| 1.  | महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी)                          | गुजरात,         | अहमदाबाद     | 380009  |
| 2.  | प्रधान महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी)                   | मेघालय,         | शिलोंग       | 793001  |
| 3.  | महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी)                          | आसाम,           | गौहाटी       | 781029  |
| 4.  | महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी)                          | झारखण्ड,        | रांची        | 834002  |
| 5.  | महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी)                          | बिहार,          | पटना         | 800001  |
| 6.  | प्रधान महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी)                   | केरल,           | तिरुवनंतपुरम | 695039  |
| 7.  | प्रधान महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी)                   | मध्यप्रदेश,     | ग्वालियर     | 474002  |
| 8.  | प्रधान महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी)                   | तमिलनाडु,       | चेन्नई       | 600018  |
| 9.  | प्रधान महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी)                   | महाराष्ट्र,     | मुंबई        | 400020  |
| 10. | महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी)-II                       | महाराष्ट्र,     | नागपुर       | 440001  |
| 11. | प्रधान महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी)                   | कर्नाटक,        | बेंगलुरु     | 560001  |
| 12. | प्रधान महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी)                   | उड़ीशा,         | भुवनेश्वर    | 751001  |
| 13. | प्रधान महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी)                   | पंजाब,          | चंडीगढ़      | 160017  |
| 14. | प्रधान महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी)                   | हरियाणा,        | चंडीगढ़      | 160047  |
| 15. | महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी)                          | हिमाचल प्रदेश,  | शिमला        | 171003  |
| 16. | प्रधान महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी)                   | राजस्थान,       | जयपुर        | 302005  |
| 17. | महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी)II                        | उत्तर प्रदेश,   | इलाहाबाद     | 211001  |
| 18. | महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी)                          | पश्चिम बंगाल,   | कोलकाता      | 700001  |
| 19. | महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी)                          | जम्मू कश्मीर,   | श्रीनगर      | 190009  |
| 20. | महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी)                          | मणिपुर,         | इम्फाल       | 795001  |
| 21. | महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी)                          | त्रिपुरा,       | अगरतला       | 799006  |
| 22. | महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी)                          | नागालैंड,       | कोहिमा       | 797001  |
| 23. | महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी)                          | छत्तीसगढ़,      | रायपुर       | 492111  |
| 24. | महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी)                          | मिजोरम,         | आईजोल        | 796001  |
| 25. | वरिष्ठ उप-महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी)                | सिक्किम,        | गंगटोक       | 737102  |
| 26. | वेतन एवं लेखा अधिकारी-V, पेंशन, तीस हजारी, नई दिल्ली, | नई दिल्ली       | -            | 110124  |
| 27. | निदेशक, लेखा एवं कोषागार, गोवा सरकार,                 | गोवा,           | पणजी         | 403101  |
| 28. | निदेशक, लेखा एवं खजाना, (सघ क्षेत्र)                  | पोंडीचेरी       | पोंडीचेरी    | 605001  |
| 29. | निदेशक, लेखा परीक्षा एवं पेंशन                        | अरुणाचल प्रदेश, | नाहरलागन     | 791110  |
| 30. | प्रधान महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी)                   | हैदराबाद        | हैदराबाद     | 500004  |
| 31. | प्रधान महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी)                   | तेलंगाना        | हैदराबाद     | 500004  |

महालेखाकार  
मध्य प्रदेश, ग्वालियर

# कार्यालय महालेखाकार (लेखा एवं हक.)-उत्तराखंड

“महालेखाकार भवन” कौलागढ़, देहरादून - 248195

फ़ोन: 0135-2970866, 2970867 फ़ैक्स: 0135-2970859, 2970865

पत्रांक:-पी. ए./पेंशन/2021-22/2436

दिनांक: 22/02/2022

## “विशेष मुद्रा प्राधिकार”

सेवा में,

सभी प्रधान महालेखाकार/महालेखाकार (लेखा एवं हक.) कार्यालय

**विषय-1.** उत्तराखंड राज्य आंदोलन के दौरान 07 दिन जेल गए अथवा राज्य आंदोलन के दौरान घायल हुए आंदोलनकारियों की श्रेणी से भिन्न राज्य आंदोलनकारियों की पेंशन बढ़ाये जाने के संबंध में।

**विषय-2.** उत्तराखंड राज्य आंदोलन के दौरान 07 दिन जेल गए अथवा राज्य आंदोलन के दौरान घायल हुए आंदोलनकारियों की पेंशन बढ़ाये जाने के संबंध में।

**संदर्भ:-**(1)अपर सचिव उत्तराखण्ड शासन गृह अनुभाग-8, संख्या-284/XX(8)21-08(रा०आ०) / 2021  
दिनांक: 17/12/2021

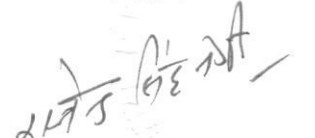
(2) अपर सचिव उत्तराखण्ड शासन गृह अनुभाग-8, संख्या-283/XX(8)21-08(रा०आ०)/2021  
दिनांक: 17/12/2021

महोदय,

वित्त विभाग उत्तराखण्ड शासन द्वारा जारी उपरोक्त संदर्भित शासनादेश की प्रतियाँ संलग्न कर प्रेषित की जा रही हैं। आपसे अनुरोध है कि उक्त आदेश अपने अधीनस्थ समस्त कोषाधिकारियों/पेंशन भुगतान अधिकारियों को प्रसारित कर नियमानुसार कार्यवाही करने हेतु निर्देशित करने का कष्ट करें तथा कृत कार्यवाही से इस कार्यालय को भी अवगत कराएं।

संलग्न-यथोपरि।

भवदीय

  
वरिष्ठ लेखाधिकारी/पेंशन

प्रेषक,

रिद्धिम अग्रवाल,  
अपर सचिव,  
उत्तराखण्ड शासन।

सेवा मे,

समस्त जिला मजिस्ट्रेट,  
उत्तराखण्ड

① गृह अनुभाग-8

देहरादून : दिनांक 17 दिसम्बर, 2021

विषय:- उत्तराखण्ड राज्य आन्दोलन के दौरान 07 दिन जेल गये अथवा राज्य आन्दोलन के दौरान घायल हुये आन्दोलनकारियों की श्रेणी से भिन्न राज्य आन्दोलनकारियों की पेंशन बढ़ाये जाने के संबंध में।

महोदय,

कृपया उपर्युक्त विषयक अवगत कराना है कि शासनादेश संख्या-533/बीस-4/2016-3(1)/2009, दिनांक-01.06.2016 के माध्यम से उत्तराखण्ड राज्य आन्दोलन के दौरान 07 दिन जेल गये अथवा राज्य आन्दोलन के दौरान घायल हुये आन्दोलनकारियों की श्रेणी से भिन्न राज्य आन्दोलनकारियों को रुपये 3100/- प्रतिमाह पेंशन स्वीकृत की गयी है।

2- अतः उक्त संदर्भित शासनादेश के क्रम में सम्यक् विचारोपरान्त श्री राज्यपाल महोदय उत्तराखण्ड राज्य आन्दोलन के दौरान 07 दिन जेल गये अथवा राज्य आन्दोलन के दौरान घायल हुये आन्दोलनकारियों की श्रेणी से भिन्न राज्य आन्दोलनकारियों को दी जाने वाली मासिक पेंशन रुपये 3100/- (रु० तीन हजार एक सौ मात्र) को बढ़ाकर रु० 4500/- मात्र (रु० चार हजार पांच सौ मात्र) प्रतिमाह किये जाने की सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं।

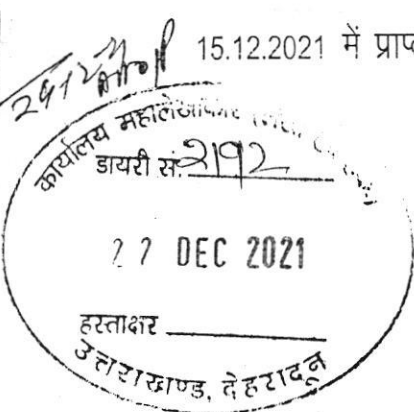
3- उक्त संबंध में होने वाला व्यय चालू वित्तीय वर्ष 2021-22 के अनुदान संख्या-15, लेखाशीर्षक-2235-60-अन्य सामाजिक सुरक्षा तथा कल्याण कार्यक्रम-00-आयोजनेत्तर-07-राज्य आन्दोलनकारियों के कल्याणार्थ पेंशन की सुविधा हेतु कारपस फण्ड की स्थापना-57-सामाजिक सुरक्षा (पेंशन) के नामे डाला जायेगा।

4- यह आदेश वित्त विभाग के अशासकीय संख्या-310 मतदेय/XXVII(5)/2021-22 दिनांक-15.12.2021 में प्राप्त उनकी सहमति से जारी किया जा रहा है।

भवदीया,

(रिद्धिम अग्रवाल)  
अपर सचिव।

पेडल  
22/12/21



DR  
Dr. Raturi

DR-59  
Date-23-12-2021

संख्या:-284 /XX(8) /21-08(रा0आ0) /2021, तद्दिनांकित।

प्रतिलिपि:-निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1. महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी), उत्तराखण्ड, कौलागढ़, देहरादून।
2. मुख्य निजी सचिव, मा0 मुख्यमंत्री, उत्तराखण्ड शासन।
3. वरिष्ठ प्रमुख निजी सचिव, मुख्य सचिव, उत्तराखण्ड शासन।
4. आयुक्त गढ़वाल एवं कुमाऊं मण्डल, नैनीताल।
5. निदेशक, लेखा एवं हकदारी (पेंशन), उत्तराखण्ड, 23 लक्ष्मी रोड़, देहरादून।
6. निदेशक, सूचना एवं लोक सम्पर्क विभाग, उत्तराखण्ड देहरादून।
7. समस्त कोषाधिकारी, उत्तराखण्ड।
8. मुख्यमंत्री कार्यालय अनुभाग-4 (घोषणा अनुभाग), उत्तराखण्ड शासन।
9. गृह अनुभाग (बजट अनुभाग)-6, उत्तराखण्ड शासन।
10. वित्त अनुभाग-5, उत्तराखण्ड शासन।
11. एन0आई0सी0, सचिवालय परिसर।
12. गार्ड फाइल।

  
17/12  
(रिद्धिम अग्रवाल)  
अपर सचिव।

श्री,

रिद्धिम अग्रवाल,  
अपर सचिव,  
उत्तराखण्ड शासन।

सेवा में,  
समस्त जिला मजिस्ट्रेट,  
उत्तराखण्ड

गृह अनुभाग-8

देहरादून : दिनांक 17 दिसम्बर, 2021

②

विषय:-उत्तराखण्ड राज्य आन्दोलन के दौरान 07 दिन जेल गये अथवा राज्य आन्दोलन के दौरान घायल हुये आन्दोलनकारियों की पेंशन बढ़ाये जाने के संबंध में।

महोदय,

कृपया उपर्युक्त विषयक अवगत कराना है कि शासनादेश संख्या-555/बीस-4/2013-3(1)/2009, दिनांक-25.03.2013 के माध्यम से उत्तराखण्ड राज्य आन्दोलन के दौरान 07 दिन जेल गये अथवा राज्य आन्दोलन के दौरान घायल हुये आन्दोलनकारियों को रुपये 5000/- प्रतिमाह पेंशन स्वीकृत की गयी है।

2- अतः उक्त संदर्भित शासनादेश के क्रम में सम्यक् विचारोपरान्त श्री राज्यपाल महोदय उत्तराखण्ड राज्य आन्दोलन के दौरान 07 दिन जेल गये अथवा राज्य आन्दोलन के दौरान घायल हुये आन्दोलनकारियों को दी जाने वाली मासिक पेंशन रुपये 5000/- (रु0 पांच हजार मात्र) को बढ़ाकर रु0 6000/- मात्र (रु0 छः हजार मात्र) प्रतिमाह किये जाने की सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं।

3- उक्त संबंध में होने वाला व्यय चालू वित्तीय वर्ष 2021-22 के अनुदान संख्या-15, लेखाशीर्षक-2235-60-अन्य सामाजिक सुरक्षा तथा कल्याण कार्यक्रम-00-आयोजनेत्तर-07-राज्य आन्दोलनकारियों के कल्याणार्थ पेंशन की सुविधा हेतु कारपस फण्ड की स्थापना-57-सामाजिक सुरक्षा (पेंशन) के नामे डाला जायेगा।

4- यह आदेश वित्त विभाग के अशासकीय संख्या-310(1) मतदेय/XXVII(5)/2021-22 दिनांक-15.12.2021 में प्राप्त उनकी सहमति से जारी किया जा रहा है।

भवदीया,

(रिद्धिम अग्रवाल)  
अपर सचिव।

क्रमशः-2

संख्या: 284 / XX(8) / 21-08(रा0आ0) / 2021, तद्दिनांकित।

प्रतिलिपि: निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1. महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी), उत्तराखण्ड, कौलागढ़, देहरादून।
2. मुख्य निजी सचिव, मा0 मुख्यमंत्री, उत्तराखण्ड शासन।
3. वरिष्ठ प्रमुख निजी सचिव, मुख्य सचिव, उत्तराखण्ड शासन।
4. आयुक्त गढ़वाल एवं कुमाऊं मण्डल, नैनीताल।
5. निदेशक, लेखा एवं हकदारी (पेंशन), उत्तराखण्ड, 23 लक्ष्मी रोड़, देहरादून।
6. निदेशक, सूचना एवं लोक सम्पर्क विभाग, उत्तराखण्ड देहरादून।
7. समस्त कोषाधिकारी, उत्तराखण्ड।
8. मुख्यमंत्री कार्यालय अनुभाग-4 (घोषणा अनुभाग), उत्तराखण्ड शासन।
9. गृह अनुभाग (बजट अनुभाग)-6, उत्तराखण्ड शासन।
10. वित्त अनुभाग-5, उत्तराखण्ड शासन।
11. एन0आई0सी0, सचिवालय परिसर।
12. गार्ड फाइल।

  
17/12  
(रिद्धिम अग्रवाल)  
अपर सचिव।